



# शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक, बस्तर

जगदलपुर, छ0ग0-494001

(तकनीकी शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एवं अ.भा.त.शि.प. द्वारा अनुमोदित संस्थाबद्ध)

Tel. No.-07782-264260 email: [gpolybastar@gmail.com](mailto:gpolybastar@gmail.com)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 04 के संबंध में विभाग से संबंधित जानकारियां :-

## (1) संस्था की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य:

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये चार क्षेत्र-कृषि, उद्योग, सेवायें और प्रौद्योगिकी प्रमुख माने गये हैं। इसके लिये कार्यकुशल शिल्पकार, इंजीनियर एवं तकनीकी कौशल युक्त मानव संसाधन का विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह संस्था इसी आवश्यकता को पूरा करती है। इस संस्था के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, तथा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जैसे विषय सम्मिलित किये गये हैं। पॉलीटेक्निक संस्था/तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य है: -

संस्था में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मूल्यपरक गुणात्मक तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करना।

## (2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां

तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संस्था के द्वारा किये जाने वाले कार्य:-

1. प्राचार्य :- संस्था का समस्त प्रशासकीय नियंत्रण।
2. विभागाध्यक्ष :- विभाग के अंतर्गत भौक्षणिक गतिविधियों का संचालन एवं संस्था से संबंधित विभिन्न समितियों के कार्यों का संपादन एवं संस्था के प्रशासनिक कार्यों का संपादन।
3. व्याख्याता :- विभाग से संबंधित समस्त भौक्षणिक कार्य एवं प्रयोगशालाओं से संबंधित कार्य तथा प्राचार्य द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन के साथ-साथ नियमित समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करना।
4. तकनीकी सहायक :- संबंधित विभागों में प्रायोगिक कार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा दिये निर्देशों का पालन करना।

## (3) विनिर्णय करने की प्रकृया में पालन की जाने वाली प्रकृया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :-

1. लिपिक - लेखापाल - मुख्यलिपिक - प्राचार्य
2. व्याख्याता - विभागाध्यक्ष - प्राचार्य

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:-

1. छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की आचार संहिता का पालन करना / कराना ।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित मापदण्ड का पालन करना ।
3. मानव संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का परिपूर्ण करते हुए कार्य करना ।
4. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का क्रियान्वित करना ।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख:-

1. यथा समय शासन से जारी निर्देशों का पालन करना ।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित मापदण्ड यथा समय क्रियान्वयन करना ।
3. मानव संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का क्रियान्वयन करना ।
4. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का क्रियान्वयन करना ।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण:-

संस्था से संबंधित दस्तावेज ।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं:

समस्त नीतियों के लिए यह व्यवस्था लागू है ।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण :-

प्रवेशी समिति :-

1.	राजेश राठौर	व्याख्याता (मेकेनिकल)	प्रवेश प्रभारी
2.	अमर खलखो	व्याख्याता (मेकेनिकल)	सदस्य
3.	पुष्पेंद्र अलसारे	व्याख्याता (मेटलर्जी)	सदस्य
4.	भूपे I साहू	सहायक कर्मचारी आला अधीक्षक	सदस्य

## शिकायत निवारण समिति-

1	नंदिता गुप्ता	व्याख्याता (गणित)	अध्यक्ष
2	राजेश राठौर	व्याख्याता (मेकेनिकल)	सदस्य
3	अमर खलखो	व्याख्याता (मेकेनिकल)	सदस्य
4	भूपेश साहू	व्याख्याता (सहायक कर्मशाला अधीक्षक)	सदस्य
5	आय ग अली	लैब टेक्निशियन	सदस्य

संस्था में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुशांगिक विषयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार एंटी रैगिंग समिति के सदस्य हैं:-

### 1. विभागीय जनसूचना अधिकारी :-

1	जनसूचना अधिकारी	डॉ. पीयूष लोटिया	प्र. प्राचार्य
2	सहायक जनसूचना अधिकारी	श्री गोवर्धन कश्यप	भण्डार लिपिक

### 2. एंटी रैगिंग समिति :-

1	श्री बालमुकुंद देवांगन	व्याख्याता (मेटलर्जी)	अध्यक्ष
2	श्री राजेश कुमार राठौर	व्याख्याता (मेकेनिकल)	सदस्य
3	श्री विजय कुमार सारथी	व्याख्याता (कम्प्यूटर साइंस)	सदस्य
4	श्री के. ए. प्रसाद पटेल	व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल)	सदस्य
5	श्री पुष्पेन्द्र अलसारे	व्याख्याता (मेटलर्जी)	सदस्य

### 3. छात्रा/महिला कर्मियों के उत्पीड़न निवारण समिति :-

1	कु. नंदिता गुप्ता	व्याख्याता (गणित)	अध्यक्ष
2	कु. आय ग अली	लैब टेक्निशियन	सदस्य
3	श्रीमति सुशीला लांगडे	लेखापाल	सदस्य

### क्रय समिति:

1	श्री भोलेनाथ तंबोली	व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल)	अध्यक्ष
2	श्री पुष्पेन्द्र अलसारे	व्याख्याता (मेटलर्जी)	सदस्य
3	श्री बालमुकुंद देवांगन	व्याख्याता (मेटलर्जी)	सदस्य
4	श्री राजेश कुमार राठौर	व्याख्याता (मेकेनिकल)	सदस्य
5	श्री विजय कुमार सारथी	व्याख्याता (कम्प्यूटर साइंस)	सदस्य
6	श्री गोवर्धन कश्यप	भण्डार लिपिक	प्रस्तुतकर्ता

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :

स0 क0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद का नाम	मोबाईल नंबर	ई-मेल
1	श्री पीयूश लोटिया	प्र. प्राचार्य	8109743365	lotia_piyush@rediffmail.com
2	श्री भोलेनाथ तंबोली	व्याख्याता (इलेक्ट्रीकल)	9806951559	tamboli1592@gmail.com
3	श्री के।व. प्रसाद पटेल	व्याख्याता (इलेक्ट्रीकल)	8109977873	kshwprsdptl113@gmail.com
4	श्री राजेश।कुमार	व्याख्याता (इलेक्ट्रीकल)	7415828073	rajesh.manit.ee@gmail.com
5	श्री सुनील कुमार अनंत	व्याख्याता (मेकेनिकल)	9425216759	sunilnant91@gmail.com
6	श्री अमर खलखो	व्याख्याता (मेकेनिकल)	9907274782	amarx88@gmail.com
7	श्री राजेश।कुमार राठौर	व्याख्याता (मेकेनिकल)	8103898914	rathore.mech25@gmail.com
8	श्री बालमुकुंद देवांगन	व्याख्याता (मेटलर्जी)	8251027342	balmukund.met@gcpjdp.ac.in
9	श्री सुरेन्द्र कुमार उर्वे।	व्याख्याता (मेटलर्जी)	9479013910	surendraurvasa@gmail.com
10	श्री अभिनंदन कुमार	व्याख्याता (मेटलर्जी)	7617345125	abhinandan.nifft@gmail.com
11	श्री पुष्पेन्द्र कुमार अलसारे	व्याख्याता (मेटलर्जी)	9479092047	pushpendra.works@gmail.com
12	श्री विजय कुमार सारथी	व्याख्याता (कम्प्यूटर साईंस)	8817814176	victorysarathi@gmail.com
13	कु. नंदिता गुप्ता	व्याख्याता (गणित)	9827930949	nandita_dec@yahoo.com
14	श्री टेमन लाल बारले	व्याख्याता (रसायन)	9907765574	temanbarle@gmail.com
15	श्री भूपे।साहू	सहायक कर्मचारी अधीक्षक	9644297140	bhupu.ssec@gmail.com
16	कु. आय।अली	लैब टेक्नियन	9098694066	---
17	श्रीमति सु. गीला लांगडे	लेखापाल	9406006559	---
18	श्री गोवर्धन क. यप	भण्डार लिपिक	8435214026	---
19	श्री अमित	भृत्य	7725099346	---
20	श्रीमति सुखमनी	फर्मा।	9285308976	---

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो:-

संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक वेतन माह सितम्बर 2017			
क्रमांक	अधिकारी कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
1	श्री पीयूष लोटिया	प्राचार्य	37400+9000
2	श्री भोलेनाथ तंबोली	व्याख्याता (इलेक्ट्रीकल)	15600+5400
3	श्री के।व. प्रसाद पटेल	व्याख्याता (इलेक्ट्रीकल)	15600+5400
4	श्री राजे।। कुमार	व्याख्याता (इलेक्ट्रीकल)	15600+5400
5	श्री सुनील कुमार अनंत	व्याख्याता (मेकेनिकल)	15600+5400
6	श्री अमर खलखो	व्याख्याता (मेकेनिकल)	15600+5400
7	श्री राजे।। कुमार राठौर	व्याख्याता (मेकेनिकल)	15600+5400
8	श्री बालमुकुंद देवांगन	व्याख्याता (मेटलर्जी)	15600+6000
9	श्री सुरेन्द्र कुमार उर्व।।	व्याख्याता (मेटलर्जी)	15600+5400
10	श्री अभिनंदन कुमार	व्याख्याता (मेटलर्जी)	15600+5400
11	श्री पुष्पेन्द्र कुमार अलसारे	व्याख्याता (मेटलर्जी)	15600+5400
12	श्री विजय कुमार सारथी	व्याख्याता (कम्प्यूटर साईंस)	15600+6000
13	कु. नंदिता गुप्ता	व्याख्याता (गणित)	15600+5400
14	श्री टेमन लाल बारले	व्याख्याता (रसायन)	15600+5400
15	श्री भूपे।। साहू	सहायक कर्म।।ला अधीक्षक	15600+5400
16	कु. आय।। अली	लैब टेक्नियन	33300
17	श्रीमति सु।।ला लांगड़े	लेखापाल	38500
18	श्री गोवर्धन क।।यप	भण्डार लिपिक	38500
19	श्री अमित	भृत्य	15600
20	श्रीमति सुखमनी	फर्।।।	15600

- (11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विविध स्थितियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:-

**मांग संख्या 41 वेतन भत्ते आदि**

संक्र०	मद का नाम	बजट आबंटन	माह का व्यय	गत माह का व्यय	कुल व्यय	शेष आबंटन
1	001-अधि0कर्म0का वेतन ग्रेड वेतन	50.00 लाख	849200	1866311	2715511	2284489
2	003- मंहगाई भत्ता	50.00 लाख	860064	2528219	3388283	1611717
3	005-आदिवासी क्षेत्र भत्ता	60 हजार	21400	53500	74900	14900
4	006- मकान किराया	03 लाख	47986	119965	167951	132049
5	014- अन्य भत्ता	1.20 हजार	4651	9375	14026	105974
6	015-चिकित्सा व्यय पूर्ति	50 हजार	-	-	-	-
7	020-त्यौहार अग्रिम	40 हजार	-	-	-	-

**02-मजदूरी**

8	004-अन्य आक0 मजदूरी	30 हजार	-	4060	4060	25940
---	---------------------	---------	---	------	------	-------

**03-यात्रा भत्ता**

9	001-यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	50 हजार	-	1572	1572	48428
10	002-यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	05 हजार	-	-	-	5000

**04- कार्यालयीन व्यय**

11	001-डाक तार पर व्यय	05 हजार	-	-	-	5000
12	002-दूरभाष पर व्यय	30 हजार	4111	10028	14139	15861
13	003-फर्नीचर्स एवं कार्या0 उपकरण	01 लाख	-	25900	25900	74100
14	004-पुस्तके एवं नियतकालिन पत्रिकाएँ	50 हजार	-	-	-	50000
15	005-बिजली एवं जल प्रभार	50 हजार	2480	21910	24390	25610
16	007-लेखन सामग्री	75 हजार	-	58046	58046	16954
17	008-अन्य आक0 व्यय	50 हजार	4000	8989	12989	37011
18	009-सूचना प्रौद्योगिकी	50 हजार	-	-	-	50000

05-प्रशिक्षण

19	002- अन्य प्रशिक्षण	20 हजार	-	-	-	20000
20	11-छात्रवृत्तिया एवं अन्य हित लाभ मॉग संख्या 47-2203- शिष्यवृत्ति	20 हजार	-	-	-	20000
21	11-छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ मॉगसंख्या-41-2203 अन्य हित लाभ संबंधता शुल्क	45 हजार	-	-	-	45000
22	24-अनुरक्षण कार्य 002- मीन तथा उप0	10 हजार	-	9450	9450	550
23	25-सामाग्री एवं पूर्तियाँ 001-भंडार तथा कच्चा माल	50 हजार	-	-	-	50000
24	28-मशीन एवं उपकरण 006 अन्य	03 लाख	-	102059	102059	197941
25	33- औजार एवं संयंत्र 003-आपरेटिंग/संधारण पर व्यय	50 हजार	-	-	-	50000
26	86 - कोचिंग/प्रतियोगिताएँ	30 हजार	-	-	-	30000
27	47-2203-00-107-0101-5672-11-001 बी0पी0एल0 छात्रवृत्ति	50 हजार	-	-	-	50000
28	मॉगसंख्या-64-2203-00-106-0103 -1853-25-006 ड्राइंग सामाग्री का प्रदाय	03 लाख	-	-	-	300000
29	मॉग संख्या-64 - बुंक बैंक योजना	50 हजार	-	-	-	50000
30	मॉग संख्या 64-2203-00-108-0103 -4068-86-000 विशेष कोचिंग कक्षायेँ	20 हजार	-	15000	15000	5000

## विभाग में संचालित योजनाएं:-

संस्था में वर्तमान में तीन पाठ्यक्रम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, तथा मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौशल योजना के अन्तर्गत वी.टी.पी.से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

## पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अधोसंरचना का उन्नयन

इस संस्था का चयन केन्द्र शासन की योजना के तहत अधोसंरचनाओं के उन्नयन हेतु किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के उपकरण, पर व्यय किया जाकर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जाना है।

## प्लेसमेंट एवं कैम्पस इन्टरव्यू:-

कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से इस संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के प्लेसमेंट के लिए प्रदे 1 एवं दे 1 के सक्षम नियोजकों से संस्थानों द्वारा सम्पर्क किया जाता है। इस संस्था में छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए प्लेसमेंट अधिकारी हैं। छात्र-छात्राओं को उद्योगों एवं अन्य संगठनों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण/मार्गदर्शन दिया जाता है।

## मुख्यमंत्री कौशल योजना :-

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संस्था में वी. टी. पी. कोर्स संचालित किया जा रहा है, इसमें प्रशिक्षणरत कोर्स की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कोर्स कोड	कोर्स का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	दिनांक
1	ELE 701	Electrician Domestic	20	23.06.2017 से 03.10.2017 तक

## (16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरणियाँ :-

स. क्र.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	डॉ. पीयूष लोटिया	जन सूचना अधिकारी	9827112299
2.	श्री गोवर्धन कश्यप	सहायक जन सूचना अधिकारी	8435214026



(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए;

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

ब्रांच एवं प्रवेश क्षमता :-

स. क्र.	ब्रांच	प्रवेश क्षमता
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	63
2	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	63
3	मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग	63

छात्रवृत्ति सुविधाएँ :- 2016-17

स. क्र.	केटेगरी	कुल छात्र-छात्राएं	लाभान्वित छात्र-छात्राएं	प्रतिमाह छात्रवृत्ति दर
1	मेरिट छात्रवृत्ति	73	01	500/-
2	ओ.बी.सी.	28	26	110/-
3	एस.टी.	55	31	230/-
4	एस.सी	06	04	230/-
5	बीपीएल	03	03	500/-

संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध हैं। बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी:-

स. क्र.	केटेगरी	कुल छात्र-छात्राएं	लाभान्वित छात्र-छात्राएं
1	एस.टी.	55	52
2	एस.सी	6	6

## सूचना का अधिकार :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विभाग में लागू है। इस अधिनियम के तहत दिनांक 01 जनवरी 2017 से 31.09.2017 की अवधि तक इस संस्था में कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं पत्रों की संख्या – 00 है।

## लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 संस्था में वर्ष 2014 से लागू है, जिसके तहत इस संस्था में छात्र-छात्राओं का स्थानांतरण, चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना, प्रावधानित है। संस्था में 2016-17 में कुल 19 छात्र-छात्राओं को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दिया गया।

(डॉ पीयूष लोटिया)  
प्र. प्राचार्य  
शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक  
जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)